# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 46 / 2019
दायरा दिनांकः—30.07.2019
निर्णय दिनांकः— 03.12.2024

## उनवान

गुलाबचन्द आयु 60 वर्ष आत्मज प्यारा जाति मीणा निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कजोड आयु 75 वर्ष आत्मज भंवरिया जाति मीना निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. धूल्या आयु 65 वर्ष आत्मज भंवरिया जाति मीना निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मुस0 रामपति आयु 61 वर्ष पुत्री भंवरिया जाति मीना निवासी ग्राम भंवर हाल पत्नि रंगलाल जाति मीनाा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां
4. हरपाल आयु 63 वर्ष आत्मज बंशी जाति मीना निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. नारायण आयु 35 वर्ष आत्मज बंशी जाति मीना निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. जमनालाल आयु 60 वर्ष आत्मज बंशी जाति मीना निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. मुस0 रामी बाई आयु 70 वर्ष पुत्री बंशी जाति मीना निवासी ग्राम भंवर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 03.12.2024

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — प्रार्थी
2. श्री भवर सिंह जदौन— अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम ग्राम भवर तहसील छबडा जिला बारा (राज०) में भूमियां खसरा नम्बरान 40 रकबा 8 बीघा खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 117 रकबा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 218 रकबा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 219 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 220 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 221 रकबा 15 बिस्वा, कुल 8 किता आराजीयात मवाजी 15 बीघा, 16 बिस्वा, अवस्थित है. जो प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

1 ता 3 तथा बंशी के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। उक्त वर्णित शामलाती खातेदार बंशी का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थी कम संख्या 4 लगायत 7 है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 तथा अप्राथर्थीगण कम संख्या 1 ता 3 का हिस्सा 1/3 तथा शामलाती खातेदार बंशी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान अप्रार्थीगण कम संख्या 4 ता 7 का हिस्सा 1/3 है. उक्त अनुपात के हिसाब से प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 7 शामलाती खाते की उक्त वर्णित भूमियों का उपयोग एवं उपभोग करने के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारी है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 7 के मध्य भूमियो को कम ज्यादा के हिसाब से काश्त करने एवं लगान इत्यादी जमा कराने को अक्सर आपस में लडाई–झगड़े तथा गाली–गलोच होती रहती है. जिससे प्रार्थी निजात पाना चाहता है, और भूमिया का विभाजन कराकर विभाजित शुदा भूमिया हिस्सा 1/3 को प्रार्थी अपने नाम पृथक खातेदादी में दर्ज करवाकर अपने हिस्से की भूमियो को सिंचाई के स्त्रोत बढाकर अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है, और राज्य सरकार द्वारा कृर्षि से सम्बधित लागू की जा रहीं योजनाओ से लाभावित होना चाहता है. उक्त उद्देश्य के पूर्ति में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 7 से कई मर्तबा भूमियो का विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के हिसाब से कर विभाजित शुदा भूमिया हिस्सा 1/3 को प्राथर्थी के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज करने का अनुरोध किया किन्तु अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 7 टालमटूल करते चले आ रहे है। अन्त में दिनांक 30/06/2019 को पुन अनुरोध करने पर अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 7 ने भूमियो का विभाजन कर प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमियो को प्रार्थी के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज कराने से कतई इनकार कर दिया, और प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमियो पर जबरन ताकत के बल पर बगैर किसी वैधानिक एवं कानूनी अधिकार के अधिपत्य भी कर लिया प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी से लड़ाई–झगड़ा एवं गाली–गलोच करने को आमादा हो गये अतः यही दिनांक 30/06/2019 बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 7 प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमियो से अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीको से बगैर किसी अधिकार के जबरन ताकत के बल पर जब्रिया तौर पर लाभावित हो रहे है, अतः अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 7 से वादी के 1/3 हिस्से की भूमियो से जब्रिया तौर पर लाभावित होने के फलस्वरूप प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमियो की मुनाफा राशि बतौर मुआवजा 10,000/– रूपए प्रति बीघा की हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 7 से जमा कराया जाना और जमा नहीं कराने की सूरत में वादी की 1/3 हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी कम संख्या 8 तहसीलदार छबड़ा को रिसिवर नियुक्ति किया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है, ताकि प्रार्थी के अधिकारो की सुरक्षा हो सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 4 ता 7 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भंवर सम्वत् 2073–76 खख्या 4 पेश कि गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भंवर तहसील छबडा में स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ता 3 व बंशीलाल के शामलाती खातेदारी में दर्ज है। बंशीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य भूमि कम ज्यादा के हिसाब से काश्त करने । लगान जमा कराने में आपसी विवाद होता है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाना चाहता है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहतें है प्रार्थी के हिस्से की भूमि 1/3 पर मुनाफा राशि बतौर मुआवजा केश,सिक्युरिटी राशि 10,000/– प्रति वर्ष प्रतिबीघा जमा कराने का या तहसीलदार छबडा को रिसीवर नियुक्त किया जावे। जिससे प्रार्थी के अधिकारों की सुरक्षा हों सकें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी का पारिवारिक बटवारा पूर्वजों के समय से हो रहा है। पारिवारिक समझौतें के आधार पर हुए बअवारें के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण काश्त करतें चले आ रहे है। प्रार्थी के मन में बेईमानी आने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अन्य सह खातेदारान की भूमि पर जबरन कब्जा करने व भूमि का रहन बेचान करने पर आमादा है गुलाबचन्द ने अपने हिस्से की आराजी अप्रार्थी क्रम 4 हरपाल को काश्त करने के लिए दे दी थी तथा वह भी हरपाल के पास ही रहता था। हरपाल ने उसके खाने पीने व बीमारी में इलाज कराता था गुलाबचन्द व हरपाल में कहां सुनी होने के बाद गुलाबचन्द अलग रहने लगा। हरपाल ने गुलाबचन्द को भूमि देने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी क्रम 4 का कब्जा है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि के विरूद्ध होने से काबिल खारिजी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भंवर सम्वत् 2073–76 खाता सख्या 4 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 शामलाती में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा दावा धारा 53,183,188 आर0टी0एक्ट का पेश किया जिससे यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थी का भूमि पर कब्जा नही है जिस प्रकार से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया है उससे भी यह साबित होता है कि प्रार्थी का भूमि पर कब्जा काश्त नही है दावा के निर्णय के बाद तय होगा की वादी/प्रार्थी के हिस्से की भूमि कौनसी है। वाद के निस्तारण तक न्यायालय यह उचित नहीं समझता है कि कब्जे में छेडछाड कर रिसीवरी नियुक्त किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा